

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122024-259302  
CG-DL-E-10122024-259302

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4906]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 9, 2024/अग्रहायण 18, 1946

No. 4906]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 9, 2024/AGRAHAYANA 18, 1946

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5301(अ).—कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को, कार्य नियमों के आबंटन के भाग III क्र. सं.के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि नीचे दी गई तालिका में स्तंभ (2) में उल्लिखित प्रजातियों के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट पशुधन और कुक्कुट की नस्लों और स्तंभ (5) में उनके परिग्रहण संख्या की पहचान जनहित में आवश्यक और समीचीन है; यह अधिसूचित करती है कि पशुधन और कुक्कुट की उक्त नस्लें स्तंभ (4) में उल्लिखित राज्यों की अधिसूचित नस्लें होंगी, जिन्हें पशुपालन, उत्पादन, प्रजनन, संरक्षण, उपयोग, उपभोग और व्यापार के उद्देश्यों के लिए रखा एवं पाला जाएगा और इस अधिसूचना के भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उपर्युक्त प्रयोजनों हेतु पूरे भारत के लिए अधिसूचित नस्लें होंगी, अर्थात्-

तालिका

क्रम संख्या	प्रजाति	नस्ल	राज्य	परिग्रहण संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सुर्गी	अरावली	गुजरात	इंडिया_चिकन_0400_ अरावली_12020
2.	बत्तख	अंडमानी	अंडमान और निकोबार	इंडिया_डक_3300_अंडमानी_11003

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

3.	बकरी	अंजोरी	छत्तीसगढ़	इंडिया _ गोद _2600_ अंजोरी _06038
4.	बकरी	अंडमानी	अंडमान और निकोबार	इंडिया _ गोद _3300_ अंडमानी _06039
5.	अश्व	भीमथडी	महाराष्ट्र	इंडिया _ हॉर्स _1100_ भीमथडी _07008
6.	सुअर	अंडमानी	अंडमान और निकोबार	इंडिया _ पिग _3300_ अंडमानी _09014
7.	भेड़	मचेरला	आंध्र प्रदेश	इंडिया _ शीप _0100_ मचेरला _14045

[फा. सं. डी -04/9/2024-IC-1]

संजय गर्ग, अपर सचिव (डेयर) एवं सचिव (भा. कृ. अनु. प.)

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMER'S WELFARE**

(Department of Agricultural Research and Education)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th December, 2024

**S.O. 5301(E).**—In exercise of the powers conferred on Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, Government of India under PART III, Sl. no. 7 of the Allocation of Business Rules, the Central Government hereby decides that it is necessary and expedient in public interest to recognise the breeds of livestock and poultry specified in column (3) and their Accession Number in column (5) of species mentioned in column (2) of the Table below; it is hereby notified that the said breeds of livestock and poultry shall be the notified breeds of the States mentioned in column (4) to be kept and reared for purposes of animal husbandry, production, breeding, conservation, utilization, consumption and trade; and shall be the notified breeds for the whole of India for the above purposes with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette of Government of India, namely:-

**TABLE**

Serial number	Species	Breed	States	Accession Number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Chicken	Aravali	Gujarat	INDIA_CHICKEN_0400_ ARAVALI _12020
2.	Duck	Andamani	Andaman & Nicobar	INDIA_DUCK_3300_ ANDAMANI _11003
3.	Goat	Anjori	Chhattisgarh	INDIA_GOAT_2600_ ANJORI _06038
4.	Goat	Andamani	Andaman & Nicobar	INDIA_GOAT_3300_ ANDAMANI _06039
5.	Horse	Bhimthadi	Maharashtra	INDIA_HORSE_1100_ BHIMTHADI _07008
6.	Pig	Andamani	Andaman & Nicobar	INDIA_PIG_3300_ ANDAMANI _09014
7.	Sheep	Macherla	Andhra Pradesh	INDIA_SHEEP_0100_ MACHERLA _14045

[F. No.-D-04/9/2024-IC-1]

SANJAY GARG, Addl. Secy. (DARE) &amp; Secy. (ICAR)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5302(अ).—कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को, कार्य नियमों के आबंटन के भाग III क्र. सं. 7 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि नीचे दी गई तालिका में स्तंभ (2) में उल्लिखित प्रजाति के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट पशुधन नस्ल और स्तंभ (5) में उनके परिग्रहण संख्या की पहचान जनहित में आवश्यक और समीचीन है; यह अधिसूचित करती है कि पशुधन की उक्त नस्ल स्तंभ (4) में उल्लिखित राज्यों की अधिसूचित नस्ल होगी, जिन्हें पशुपालन, उत्पादन, प्रजनन, संरक्षण, उपयोग, उपभोग और व्यापार के उद्देश्य के लिए रखा एवं पाला जाएगा और इस अधिसूचना के भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उपर्युक्त प्रयोजनों हेतु पूरे भारत के लिए अधिसूचित नस्ल होगी,

अर्थात्: -

## तालिका

क्रम संख्या	प्रजाति	नस्ल	राज्य	परिग्रहण संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सिंथेटिक गोवंश	फ्रीजवाल	उत्तर प्रदेश उत्तराखंड	इंडिया _ कैटलसिंथेटिक _2024_ फ्रीजवाल _04001

[फा. सं. डी -04/9/2024-IC-1]

संजय गर्ग, अपर सचिव (डेयर) एवं सचिव (भा. कृ. अनु. प.)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2024

S.O. 5302(E).—In exercise of the powers conferred on Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, Government of India under PART III, Sl. no. 7 of the Allocation of Business Rules, the Central Government hereby decides that it is necessary and expedient in public interest to recognise the breed of livestock specified in column (3) and their Accession Number in column (5) of species mentioned in column (2) of the Table below; it is hereby notified that the said breed of livestock shall be the notified breed of the States mentioned in column (4) to be kept and reared for purposes of animal husbandry, production, breeding, conservation, utilization, consumption and trade; and shall be the notified breed for the whole of India for the above purposes with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette of Government of India, namely:-

## TABLE

Serial number	Species	Breed	States	Accession Number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Synthetic Cattle	Frieswal	Uttar Pradesh Uttarakhand	INDIA_CATTLESYNTHETIC_2024_FRIESWAL_04001

[F. No.-D-04/9/2024-IC-1]

SANJAY GARG, Addl. Secy. (DARE) &amp; Secy. (ICAR)